संख्या-95/2020/141जेपीआर/22-3-2020-800(18)/2017

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
महोबा।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊः दिनांकः 23 दिसम्बर, 2020*

विषय- केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज के सिद्धदोष बंदी जाहिर सिंह यादव पुत्र श्री वंशीधर उर्फ बल्ले प्रधान, निवासी-ग्राम-रावतपुर, थाना-कुलपहाड़, जनपद-महोबा को पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज के सिद्धदोष बंदी जाहिर सिंह यादव पुत्र श्री वंशीधर उर्फ बल्ले प्रधान, निवासी-ग्राम-रावतपुर, थाना-कुलपहाड़, जनपद-महोबा को शासनादेश संख्या-84/2020/2248जेएल/22-3-2020-800(18)/2017, दिनांक 24-11-2020 के क्रम में एक माह की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि स्वीकृत की जाती है। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-95/2020/141जेपीआर(1)/22-3-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3- पुलिस अधीक्षक, महोबा।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in